(209)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमाक /2016–17 निगरानी
III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा/2017/3973

कप्तानसिंह आत्मज समरथसिंह यादव मृत

1. श्रीमती किशनबाई बेवा कप्तानसिंह
2. जंगबबहादुर पुत्र कप्तानसिंह
3. कोकसिंह उर्फ अमित पुत्र कप्तानसिंह
4. सतपालसिंह पुत्र कप्तानसिंह समस्त जाति यादव निवासी ग्राम मुहाल तहसील– पिपरई जिला– अशोकनगर

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अशोकनगर

M.S. Belapurkar 23.10.2017
23.10.17
पेशी दि० 1-11-2017

कलेक्टर जिला– अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 51/स्व0निग0/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 31–08–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैः–

1. यह कि, कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि पर आवेदको के पूर्वाधिकारी कप्तानसिंह का वर्ष 1988 के लगभग 15 वर्ष पूर्व से निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा था. कप्तानसिंह भूमि का उपयोग कृषि भूमि के रूप में ही करते थे.
3. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि कप्तानसिंह की भूमि में मिली हुई थी. कप्तानसिंह के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें उन पर अर्थदण्ड आरोपित हुआ था.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—तीन / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 3973

कप्तान सिंह (मृतक) वारिसान—श्रीमती किशनबाई विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 51 / स्व.निगरानी / 2005—06 में पारित आदेश दिनांक 31—08—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04—11—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	